

खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. इस्लाम पत्नी प्यार मोहम्मद 1/12 भाग, लाल मोहम्मद 1/12 भाग, निजामुद्दीन 1/12 भाग, इजाज मोहम्मद 1/12 भाग, मोहम्मद शरीफ 1/12 भाग, मोहम्मद तनवीर 1/12 भाग, पुत्र गण प्यार मोहम्मद, उस्मान पुत्र मेहबुब खां 1/2 भाग, के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दान्ता के खेत खसरा नम्बर 2 रकबा 1.3597 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 3 रकबा 3.4398 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. अब्दुल मजीद 1/7 भाग, अमीरदीन 1/7 भाग, जमीरदीन 1/7 भाग, सलीम 1/7 भाग, दीन मोहम्मद 1/7 भाग, मोहम्मद हुसैन 1/7 भाग, पुत्र गण विलाल खां, हाजरा पत्नी विलाल खा 1/7 भाग, के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दान्ता का खेत खसरा नम्बर 4 रकबा 1.5297 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. स्याणी वानो पत्नी इब्राहीम, मुनीरदीन, मोहम्मद हनीफ पुत्रगण इब्राहिम, सिलमुदनी, ईकवाल पुत्रगण ईजाज मोहम्मद, अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद, वेगमा पत्नि मोहम्मद, खलील, अलाउद्दीन, कासमखां पुत्रगण इब्राहीम, समाउद्दीन, जमीरदीन पुत्रगण इजाज मोहम्मद, फातमा, सुफीया, मक्स्या पुत्रियां इजाज मोहम्मद, उमरदीन, मनोहरदीन पुत्रगण मोहम्मद, फारूख, मजीद अहमद पुत्र गण नानवक्स उर्फ मौं. वक्स, अमीरदीन, लुकमान पुत्रगण इजाज मोहम्मद, सबीर पुत्र मोहम्मद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दान्ता का खेत खसरा नम्बर 5 रकबा 1.6430 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. अब्दुल मजीद 1/14 भाग, अमीरदीन 1/14 भाग, जमीरदीन 1/14 भाग, सलीम 1/14 भाग, दीन मोहम्मद 1/14 भाग, मोहम्मद हुसैन 1/14 भाग, पुत्रगण विलाल खां, हाजरा पत्नी विलाल खां 1/14 भाग, ईकवाल पुत्र मोहम्मद खां 1/2 भाग, के हक बंट में मौजा दान्ता के खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 2.8975 हैक्टेयर में से रकबा 1.1331 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. खुदेजा पत्नी ईकवाल खा 1/6 भाग, शैकत 1/6 भाग, लियाकत, अहमदअली, मोहम्मद आरीफ, वरकत अली पुत्रगण ईकवाल खां के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दान्ता का खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 2.8975 हैक्टेयर में से रकबा 1.7644 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा जाकर सह खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. शौकत 1/5 भाग, मुनीर खां 1/5 भाग, इब्राहिम खां 1/5 भाग, पुत्र गण मोहम्मद खां, धुली पत्नी मोहम्मद खां 1/5 भाग, मुन्नी पत्नी मोहबत खां 1/15 भाग, रजाक पुत्र मोहबत खां 1/15 भाग, अब्दुल रहमान पुत्र मोहबत खा 1/15 भाग के हक बंट में मौजा बरनेल के खेत खसरा नम्बर 503 रकबा 5.3742 हैक्टेयर में से 5.2123 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

कलकत
(ख.दे.ओ.) जयल

7. मदरसा ख्वाजा गरिब नवाज हबीब नगरं के हक बंट में मौजा वरनेल के खेत खसरा नम्बर 503 रकबा 5.3742 हैक्टेयर में से 0.1619 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
8. रमजानी पुत्र मजीद खां के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा वरनेल के खेत खसरा नम्बर 560 रकबा 2.5819 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
9. वादी गनी खां, बदरुदीन, नानू खां पुत्र गण ईब्राहीम, शाहदत अली, फकरुदीन, मोहम्मद सलीम पुत्रगण लाल खां एवं प्रतिवादी बाना, मेमुना, फातमा, सायरा पुत्रियां विला लाल खां, कलसूम, रुखिया पुत्रियां इकबाल खां, मोहम्मद अली, जमील अहमद पुत्रगण लाल खां, जोरा बानो पुत्री लाल खां, मकसुदा, राजिया, सनाद पुत्रिया मोहबत खा, धनी बानो पुत्री मजीद खा, बाहदर अली पुत्र इस्माईल, फातमा बानो, रहमत बानो, राविया बेगम, सूफीया बानों पुत्रिया ईस्माल, मोहम्मद बक्ष, मुन्नी बानों पत्नि अली खां, मेराज बानो, रफीका बानो, शानिया बानो पुत्रिया अली खां, मोहम्मद आरीफ, अहमद रजा पुत्र गण अली खां, जोमरदीन, उबेलाल खा पुत्रगण उमर खां, अलाबकष, लुकमान पुत्रगण उमर खां, जमीददीन, अमीरदीन पुत्रगण फरीद खां, जूली पुत्री फरीद, जाकिर हुसैन, याकुब अली पुत्रगण इस्माईल के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्युटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
10. उक्त खसरान में से बैंक के रहन कि स्थिती में रहन यथावत रहेगी। सूचित रहे।
11. तहसीलदार जायल से प्राप्त पिडी प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा निर्णय आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार स्टाम्प ड्युटि प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करें। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 16.8.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल